



Neutral Citation No-2026:AHC:369

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5311 वर्ष 2025

जनार्दन सिंह यादव याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आशुतोष कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य-प्रतिपक्षियों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी अधिवक्ता और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"1. प्रतिपक्षी संख्या-2, चकबंदी अधिकारी, तहसील गाजीपुर, जिला गाजीपुर को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करता है कि वह उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत रूल के नियम 109 के तहत दायर याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 30.11.2024 को एक समयबद्ध अवधि के भीतर निर्णय लें, जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझा जा सकता है;"

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि यूपी चकबंदी/जोत एक्ट की धारा 109-A के तहत कार्यवाही 30.11.2024 से विचाराधीन है। संबंधित प्राधिकारी ने 24.02.2025 को उपरोक्त आवेदन में एक रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि इस न्यायालय द्वारा कुछ निर्धारित अवधि के भीतर यूपी चकबंदी/जोत एक्ट की धारा 109-ए के तहत उपरोक्त कार्यवाही के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रतिपक्षी संख्या-2, चकबंदी अधिकारी को निर्देश के साथ, जिसके समक्ष उपरोक्त कार्यवाही लंबित है, को अंतिम रूप से निपटान करना उचित समझता है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से कानून के अनुसार, छह महीने की अवधि के भीतर, अधिमानतः इसे शीघ्रता से तय करने के लिए।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 5, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)